न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 32/2014 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2014/00651

उनवान

1. श्री चारभुजा मन्दिर प्रन्यास, माहेश्वरी समाज सलूम्बर जरिये अध्यक्ष श्री भगवतीलाल जी पिता श्री रामप्रसाद जी आगाल माहेश्वरी उम्र बालिग वर्ष, निवासी सलूम्बर, जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।
2. सचिव रमेश कुमार पिता श्री ऊंकारलाल जी कचौरिया माहेश्वरी, उम्र बालिग, निवासी सलूम्बर, जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।

–वादीगण

बनाम

1. श्री श्यामलाल पिता श्री छबीलाल जी पुर्बिया (कलाल) उम्र बालिग, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–::निर्णय::–

दिनांकः– 25/05/2026

उपस्थितिः श्री उत्तमचन्द सोमानी अधिवक्ता– वादीगण
प्रतिवादी – एक पक्षीय।

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि कस्बा सलूम्बर में श्री चारभुजा जी का मन्दिर स्थित हैं एवं मन्दिर मुर्ति के विधिक व अधिकार की चल एवं अचल सम्पति हैं, अचल सम्पति में कृषि आराजियात होकर कस्बा सलूम्बर में स्थित हैं, जिसके आराजी नं0 1209 से 1216 कुल किता 8 रकबा क्रमशः 0.38 हेक्टर, 0.22 हेक्टर, 0.08 हेक्टर, 0.07 हेक्टर, 0.08 हेक्टर, 0.22 हेक्टर, 0.01 हेक्टर, एवं 0.18 हेक्टर, कुल किता 8 कुल क्षेत्रफल 1.24 हैक्टेयर हैं, जिसके पडौस निम्न हैं–

पूर्व– सिमेन्ट रोड, हरिजन बस्ती

पश्चिम–श्रीमती जैना पत्नी स्व. श्री अब्दुल कुंजडा की जमीन

उत्तर– मकानात (बस्ती)

दक्षिण– आम सडक सलूम्बर से कुराबड बम्बोरा

उक्त मन्दिर एवं इससे सम्बन्धित चल अचल सम्पति पर विधिक स्वामित्व, हक, अधिकार, कब्जा सलूम्बर माहेश्वरी समाज का हैं एवं माहेश्वरी समाज के द्वारा ही चारभुजा जी मन्दिर की सेवा–पूजा वर्षो से की जाती रही हैं व चल, अचल सम्पति की सुरक्षा हिफाजत वर्षो से माहेशवरी समाज सलूम्बर के द्वारा ही की जाती रही हैं, मन्दिर माहेश्वरी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

समाज सलूम्बर का होने से इस मन्दिर एवं इसकी चल–अचल सम्पति के बाबत सार्वजनिक प्रन्यास का पंजियन कराये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त देवस्थान, उदयपुर के यहाँ पर पंजियन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 7 / उदयपुर / 86 होकर सहायक आयुक्त देवस्थान के द्वारा विधिवत सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 13–05–1986 को आदेश पारित करते हुऐ सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजियन किया जाकर, प्रमाण पत्र जारी किया गया, पंजियन होने के पश्चात पंजियन प्रन्यास में नवीन ट्रस्टीयों का चयन एवं कार्यकारीणी का गठन किया गया एवं उसे विधिवत पंजिका में अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में धारा 22 सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या एफ.7 (2) ट्रस्ट / देव / उदय / 2002 निर्णय दिनांक 30–09–2002 को पारित किया गया था एवं प्रकरण संख्या 5 / 2002 दिनांक 30–09–2002 को ही सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत कृषि आराजियात को प्रन्यास की अचल सम्पति में इन्द्राज कराने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया था, जिसका निर्णय भी उक्त दिनाक को पारित किया जाकर कृषि आराजियात को प्रन्यास की अचल सम्पदा में अंकित किये जाने का आदेश पारित किये गये।

श्री चारभुजा मन्दिर प्रन्यास का विधिवत विधान बना हुआ हैं एवं विधान के अन्तर्गत ही श्री चारभुजा जी मन्दिर का सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजियन हुआ हैं प्रन्यास के अध्यक्ष एवं सचिव वादीगण हैं, जिन्हें प्रन्यास की चल अचल सम्पति के सम्बन्ध में सभी अधिकार प्रदत हैं और सम्पति के सम्बन्ध में न्यायालय में व अन्य राजकीय कार्यालयों में वाद, प्रार्थना पत्र, जवाब, शपथ पत्र, अपील, रिव्यु एवं रिवीजन अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर विधिवत कार्यवाही करने का अधिकार प्रदत हैं।

उक्त वर्णित कृषि आराजी भूमि के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण प्रतिवादी द्वारा 23 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 10 ईंच कुल क्षेत्रफल 191.97 वर्गफीट भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य कर लिया गया हैं, जबकि मुर्ति मन्दिर श्री चारभुजा जी की आराजियात पर प्रतिवादी का किसी भी प्रकार से हक, स्वामित्व, अधिकार नही हैं कृषि आराजी के पश्चिमी दिशा में एवं न ही इस भूमि को प्रतिवादी के द्वारा विधिवत किसी भी प्रकार से अतिक्रमित भुमि को अपने नाम पर हस्तान्तरित करवाया जा सकता हैं क्योंकि भुमि शाश्वत नाबालिग की हैं एवं न ही इस मन्दिर मुर्ति की जमीन को सलूम्बर माहेश्वरी समाज के किसी भी प्रन्यासी एवं व्यक्ति के द्वारा बिना प्रन्यास के सदस्यों के विधान के अनुसार रिज्युलेशन पारित कराये बिना एवं देवस्थान विभाग से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना हस्तान्तरित करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं, उक्त भूमि पर अगर प्रतिवादीगण के द्वारा माहेश्वरी समाज, सलूम्बर के किसी भी व्यक्ति से अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज भी निष्पादित करवा लिया गया हो तो वह दस्तावेज विधि के अन्तर्गत शाश्वत नाबालिग की भुमि होने से "एबोएनिशियों वोईड" होकर शुन्य हैं, उस दस्तावेज से किसी भी प्रकार से कोई विधिक स्वत्व, स्वामित्व, अधिकार प्रदत नही होता हैं। मुर्ति चारभुजा विधि के अन्तर्गत शास्वत नाबालिग हैं नाबालिग के स्वामित्व की अचल सम्पति (भूमि) के किसी भी अंश पर किसी भी व्यक्ति को अनाधिकृत अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराने का किसी भी प्रकार से कोई विधिक अधिकार प्रदत नही हैं प्रतिवादी के द्वारा बिना स्वत्व, स्वामित्व, अधिकारों के उक्त वर्णित क्षेत्रफल की भूमि पर जो मुर्ति चारभुजा जी मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करा लिया गया हैं, जो करवाया गया निर्माण कार्य विधि के अन्तर्गत गलत होकर अतिक्रमी के रुप में हैं।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अतः निवेदन हैं कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आश्य की डिक्री पारित की जावें कि श्री चारभुजा मन्दिर मुर्ति के खातेदारी की भूमि आराजी नंबर 1209 से 1216 कुल किता 8 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा अपने मकान के पश्चिमी दिशा में किये गये अतिक्रमण को तुडवा कर भूमि का कब्जा वादीगण को सिपूर्द कराया जावें। तथा प्रतिवादी वादीगण की आराजीयात की भूमि मे किसी भी प्रकार का व्यवधान, दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न किसी दिगर व्यक्ति से करावें, इस आश्य की भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें ।

प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2011 को वाद इस आधार पर खारिज किया गया था कि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होकर दावा प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2014 द्वारा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए यह प्रतिपादित किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर चारभुजाजी स्थान देह सलूम्बर की खातेदारी में दर्ज है तथा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सार्वजनिक न्यास पंजीयन रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण मंदिर प्रन्यास के पंजीकृत पदाधिकारी होकर उक्त संपत्ति में हित रखते हैं एवं वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। माननीय अपीलीय न्यायालय ने यह भी माना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये बिना वाद खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं था। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर प्रतिवादी को विधिवत समन जारी किये गये। प्रतिवादी ने वादपत्र के खण्डन मे कोई जवाब पेश नही किया एवं न्यायालय मे गैर हाजिर हरने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यु. 1 श्री रमेश कुमार पिता उंकारलाल जी कचौरिया माहेश्वरी हाजिर आये एवं शपथ पत्र पेश किया। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1- जमाबंदी संवत् 2064 से 2067, प्रदर्श 2- देवस्थान विभाग का प्रमाण पत्र जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श ए2 है, प्रदर्श 3- साहयक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदपुर का निर्णय दिनांक 30-09-2002 की छायाप्रति जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 3ए, प्रदर्श 4- सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर का प्रकरण संख्या 05/2002 का निर्णय दिनांक 30-09-2002 की छायाप्रति जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 4ए, प्रदर्श 5- चारभुजा मंदीर प्रन्यास, सलूम्बर का विधान जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 5ए, प्रदर्श 6- एडवोकेट नोटिस, प्रदर्श 7- रजिस्ट्रर्ड ऐडी. रसीदे, प्रदर्श 8- रजि.ऐडी. प्राप्ति रसीद, प्रदर्श 9- मौके पर्चा रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

पत्रावली मे वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1209 से 1216 कुल किता 8 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि मंदिर श्री चारभुजाजी स्थान देह सलूम्बर की खातेदारी भूमि है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से लगायत 9 तक से स्पष्ट है कि वादीगण ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार देवस्थान विभाग में उनकी अचल सम्पत्ति की सूची में दर्ज है। जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2014 मे भी की है। वादीगण मंदिर प्रन्यास के पंजीकृत पदाधिकारी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

होकर उक्त संपत्ति में हित रखते हैं एवं वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। प्रदर्श 9 मौका पर्चा रिपोर्ट से जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के एक भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिवादी न्यायालय मे गैर हाजिर रहे एवं वाद पत्र के खण्डन मे कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश नही किये। साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर वादीगण के विधिक कब्जे में हस्तक्षेप किया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 1209 से 1216 कुल किता 8 रकबा 1.24 हैक्टेयर, स्थित मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर तहसील सलूम्बर की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किया गया कब्जा, अतिक्रमण एवं निर्माण पूर्णतः अवैध है। अतः प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

वादीगण की उक्त आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं निर्माण को हटाकर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विधिवत सीमांकन कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे। प्रतिवादी को भविष्य में उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा अतिक्रमण से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम किया जाकर। पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हों।

निर्णय दिनांक 25/05/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

कलेक्टर सलूम्बर ... जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर,
जिला सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)</u>

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 32/2014 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2014/00651

उनवान

1. श्री चारभुजा मन्दिर प्रन्यास, माहेश्वरी समाज सलूम्बर जरिये अध्यक्ष श्री भगवतीलाल जी पिता श्री रामप्रसाद जी आगाल माहेश्वरी उम्र बालिग वर्ष, निवासी सलूम्बर, जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।
2. सचिव रमेश कुमार पिता श्री ऊंकारलाल जी कचौरिया माहेश्वरी, उम्र बालिग, निवासी सलूम्बर, जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।

–वादीगण

बनाम

बनाम

1. श्री श्यामलाल पिता श्री छबीलाल जी पुर्बिया (कलाल) उम्र बालिग, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज०)।

–प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्ततकारी अधिनियम 1955</u>

डिक्री दिनांकः 25–05–2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री उत्तमचन्द सोमानी एवं प्रतिवादी की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 25–05–2026 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि वादीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 1209 से 1216 कुल किता 8 रकबा 1.24 हैक्टेयर, स्थित मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर तहसील सलूम्बर की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा, अतिक्रमण एवं निर्माण पूर्णतः अवैध है। अतः प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

वादीगण की उक्त आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं निर्माण को हटाकर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विधिवत सीमांकन कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे।

प्रतिवादी को भविष्य में उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा अतिक्रमण से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक **25–05–2026** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
जिला सवाईमाधोपुर